भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4601

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मिर्गी पर जागरूकता कार्यक्रम

4601. डॉ. राजेश मिश्राः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री भोजराज नागः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विशेष रूप से महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मिर्गी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए किफायती मिर्गी रोधी दवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर महाराष्ट्र और जलगांव में मिर्गी के उपचार और सहायक सेवाओं की उपलब्धता में किन्हीं नीतिगत कमियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कमियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार देश में, विशेषकर महाराष्ट्र और जलगांव में स्कूलों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों में मिर्गी संबंधी जागरूकता से संबंधित पहलों का विस्तार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा महाराष्ट्र में, विशेषकर जलगांव में मिर्गी के रोगियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए इन पहलों को किस प्रकार कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(च) मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अब तक कितने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने मौजूदा स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों में मिर्गी और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया है। राष्ट्रीय और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मिर्गी और मनोभ्रंश जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों की स्वास्थ्य परिचर्या को प्राथमिकता देने में सफल रहे हैं।

इसके अलावा, देश में किफायती और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएँ प्रदान करने के लिए, भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों (महाराष्ट्र में जलगाँव और मध्य प्रदेश में

सीधी सहित) में लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के स्तर पर बुजुर्गों सहित सभी के लिए डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ बाह्य रोगी सेवाएँ, रोग-निर्धारण, परामर्श/मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों की निरंतर स्वास्थ्य परिचर्या और सहायता, दवाएँ, जनसंपर्क (आउटरीच) सेवाएँ, एम्बुलेंस सेवाएँ आदि शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.75 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेजों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी विकार (एमएनएस) से जुड़ी सेवाओं को भी जोड़ा गया है।

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के अंतर्गत सरकार द्वारा किफायती मिर्गी-रोधी दवा और स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में कार्यरत डीएमएचपी क्लीनिकों के माध्यम से सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली मिर्गी-रोधी दवाओं सहित मन:प्रभावी दवाओं की एक आवश्यक सूची उपलब्ध कराना।
ii. मिर्गी की जांच और प्रबंधन सहित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में एकीकृत किया गया है ताकि सेवाओं को समुदाय के करीब लाया जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या टीमों को मिर्गी सहित सामान्य तंत्रिका संबंधी विकारों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
iii. मिर्गी और संबंधित विकारों के निदान और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों, मनोचिकित्सकों, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ताओं और पैरामेडिकल कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण किया जाता है।

सरकार ने सामुदायिक जनसंपर्क (आउटरीच) के माध्यम से नियमित समुदाय-आधारित जागरूकता गतिविधियों के द्वारा मिर्गी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए डीएमएचपी के तहत कदम उठाए हैं, जिसमें पंचायतों, सामुदायिक केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य चौकियों जैसे सार्वजनिक स्थान शामिल हैं।

ये अभियान मिर्गी को कलंकमुक्त करने, शीघ्र उपचार को प्रोत्साहित करने, तथा दौरों के प्रबंधन के बारे में जनता को शिक्षित करने पर केंद्रित हैं।

(च): मध्य प्रदेश में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रमों के तहत 751 आउटरीच सत्र, स्कूलों में 203 परामर्श सत्र, कॉलेजों में 343 परामर्श सत्र और 51 कार्यस्थल तनाव प्रबंधन सत्र आयोजित किए गए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विभिन्न आईईसी गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं।
